

246

राजस्थान सरकार
कार्यालय वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

(साधारण बीमा निधि)

सी- ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्त भवन, जनपथ, विधानसभा के पास, जयपुर-302005
दूरभाष - 2740252, 2740219, 2740292 (फैक्स)

Email: add.medi.sipf@rajasthan.gov.in
Website: www.sipf.rajasthan.gov.in

मेडिकलेम बीमा पॉलिसी शिड्यूल

(विशेष निर्मित पॉलिसी)

जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर

पॉलिसी नं. : जी.आई.एफ./81/मेडि./2017-18/20
बीमा अवधि : 20.10.2017 से 19.10.2018 (मध्य रात्रि)
बीमित का नाम : दिनांक 01.01.2004 व उसके पश्चात जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0, जयपुर के 348 कार्मिक एवं उन पर आश्रित परिजन।

जारी की तारीख : 07.11.2017
कुल बीमा राशि : रूपये 3 लाख
(प्रति कर्मचारी एवं उनके नियमानुसार आश्रित परिजन)
प्रीमियम : 7500/- +30+18.00% (जी.एस.टी).
Category - A / B / C

कुल कर्मचारी (जिनके लिए प्रीमियम प्राप्त): 348
शुद्ध प्रीमियम मय विविध व्यय रू. 26,20,440/-
जी.एस.टी. : @18.00% 4,71,679.20/-
कुल प्रीमियम रू. 30,92,119.20/-
ई-ग्रास चालान सं 19113539 दिनांक 09.10.2017 राशि रू. 30,92,119.20/-

जोखिम का विवरण

जोखिम आवरण : जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 के कार्मिक व परिजनों हेतु ग्रुप मेडिकलेम, विशेष रूप से निर्मित

पॉलिसी-बीमा राशि : 3 लाख प्रति कार्मिक परिवार
पॉलिसी क्लॉज के अध्यक्षीन जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 के कार्मिक के परिवार में निम्न शामिल है:


- (a) जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 (स्वयं),
- (b) उसका/उसकी पति/पत्नी
- (c) 2 आश्रित बच्चें जिनकी आयु 21 वर्ष से अधिक नहीं हों।
- (d) आश्रित माता-पिता जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 के कार्मिक पर आश्रित माने जायेंगे जबकि वे सामान्यतया जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 के कार्मिक के साथ, उसके तैनाती स्थल पर रहते हों एवं उनकी मासिक आय सभी स्त्रोतों से रूपये 2000/-से अधिक नहीं हो।


वर्ष 2017-18 की पॉलिसी के संचालन के लिए पैरामाउण्ट हेल्थ सर्विसेज एण्ड इंशोरेन्स टीपीए प्रा. लि. नियुक्त है।

कार्यालय वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, साधारण बीमा निधि
टीपीए डेस्क, पैरामाउण्ट हेल्थ सर्विसेज एण्ड इंशोरेन्स टीपीए प्रा. लि.
डी-204 ए, द्वितीय तल, डी-ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, विधानसभा के पास,
जयपुर - 302005 (राजस्थान) फोन नं.: 0141-6456656
ई-मेल: pbs.sipf@gmail.com
आपातकालीन परिस्थिति में सम्पर्क करें: +91 9116742466
(श्री अशोक चौधरी, रीजनल मैनेजर, टीपीए)

इस पॉलिसी से संबंधित दावों/दस्तावेजों को साधारण बीमा निधि/टीपीए के कार्यालय में जमा करावें।
[उपरोक्त में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना पृथक से जारी की जावेगी, जिसे विभागीय वेबसाइट
(www.sipf.rajasthan.gov.in) पर देखा जा सकता है।]

साधारण बीमा निधि की मेडिकलेम पालिसी की सामान्य शर्तों के अध्यक्षीन जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 कार्मिक को बीमा आवरण प्रदान किया गया है।


वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग
सा.बी.नि. एवं मेडिकलेम, जयपुर


निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग
राजस्थान, जयपुर



019
16/11/17